

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2014/श्रावण 10, 1936

No. 400]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2014/SHRAVANA 10, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 555(अ).—व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय प्रारूप नियम जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 1 अगस्त, 2013 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि संख्यांक 523(अ), तारीख 1 अगस्त, 2013 द्वारा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से पैंतालिस दिन की समाप्ति के पूर्व जिस दिन जनता को अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थीं, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 26 अगस्त, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार चिन्ह नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), की प्रथम अनुसूची के, स्तंभ (3) में,-

(क) क्रम संख्यांक 1, 3, 4, 5, 6 और 7 के सामने आने वाली प्रविष्टि "3500.00" के स्थान पर, "4000" प्रविष्टि क्रमशः रखी जाएगी;

(ख) क्रम संख्यांक 71 के सामने आने वाली प्रविष्टि "12,500.00" के स्थान पर, "20000" प्रविष्टि रखी जाएगी।

3. उक्त नियमों की, (क) द्वितीय अनुसूची में, प्रारूप व्या.चि.-1, प्रारूप व्या.चि.-51 और प्रारूप व्या.चि.-52 में प्रविष्टि "3500" के स्थान पर, "4000" प्रविष्टि क्रमशः रखी जाएगी।

(ख) प्रारूप व्या.चि.-63 में प्रविष्टि "12,500" के स्थान पर, "20000" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 8/26 /2013-आईपीआर- IV]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114(अ) तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

(i) सा.का.नि. 428(अ), तारीख 20 मई, 2010

(ii) सा.का.नि. 1024(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2010

(iii) सा.का.नि. 21(अ), तारीख 14 जनवरी, 2013.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2014

G.S.R. 555(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002, were published, as required under sub-section (1) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 523 (E), dated the 1st August, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st August, 2013, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 26th August, 2013;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of the Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002, namely:—

- (1) These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule, in column (3),—

(a) against serial numbers 1, 3, 4, 5, 6 and 7, for the entries "3500.00", the entry "4000" shall respectively be substituted;

(b) against serial number 71, for the entry "12,500.00", the entry "20000" shall be substituted.

3. In the said rules, (a) in the Second Schedule, in FORM TM-1, FORM TM-51 and FORM -TM 52, for the entries "3500", the entry "4000" shall respectively be substituted.

(b) in FORM TM-63, for the entry "12500", the entry "20000" shall be substituted.

[F. No. 8/26/2013-IPR-IV]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 114 (E), dated the 26th February, 2002, and subsequently amended as follows:—

- (i) G.S.R. 428 (E), dated the 20th May, 2010;
- (ii) G.S.R. 1024 (E), dated the 29th December, 2010 ; and
- (iii) G.S.R. 21 (E), dated the 14th January, 2013.